न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 135 / 2018

उनवान

1. नौरत पुत्र गोगा,
2. सूरजकरण पुत्र मादू जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, तहसील– नसीराबाद, अजमेर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 चन्दा देवी पुत्री मिलापचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.12.23

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 देराठू की निम्न आराजी वादीगणकी कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4809	0–7–0	6934	0.05
4817	1–13–10	6950	0.27

उक्त आराजी के तत्कालीन खातेदार मिलापचन्द पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन ने दिनांक 24.07.1975 को वादीगण को जरियें पंजीकृत विकय पत्र बैचान कर कब्जा संभला दिया था। विक्रेता मिलापचन्द की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। उक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर के हाल खसरा नमबर 6934 रकबा 0.05 व 6950 रकबा 0.27 को विकय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय राजस्व अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता व वारिस के नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करना आरम्भ कर दिया तथा आराजी मुतनाजा अन्यत्र हस[illegible]ने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विकय पत्र [illegible] घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनपुस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 2 राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रकरण में वाद के तथ्यों का कोई खण्डन नही होने के कारण कोई तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 4809 रकबा 0–7–0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 42/39 में मिलापचन्द पुत्र कुन्दनमल 1/4 हिस्सा व वंर्किग खसरा नम्बर 4817 रकबा 1–13–10 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 442/414 में मिलापचन्द पुत्र कुन्दनमल के नाम खातेदारी दर्ज है। तत्कालीन खातेदार मिलापचन्द पुत्र कुन्दनमल ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र उक्त आराजी वादीगण को दिनांक 24.07.1975 को विकय कर कब्जा संभला दिया था। तत्काललीन खातेदार ने भूमि के बदले प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली है। पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता। उक्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया गया है। उक्तानुसार धारा 63 राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। तत्कालीन खातेदार द्वारा बैचान के पश्चात उनका उक्त सम्पदा पर कोई हक व अधिकार शेष नही रहता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वादीगण आराजी मुतनाजा के विधिवत केता सिद्व होते है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर विकय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विकेता/वारिस के नाम दर्ज कर दिया जबकि तत्कालीन खातेदार द्वारा आराजी मुतनाजा विकय करने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख दर्ज करनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विकय पत्र से वाद के तथ्यों की ताईद होती है।

अतः ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 6950 रकबा 0.27 व 6934 रकबा 0.05 पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। खसरा नम्बर 6950 रकबा 0.27 पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर व खसरा नम्बर 6934 रकबा 0.05 पर मिलापचन्द पुत्र कुन्दनमल 1/4 हिस्सा के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौरत बनाम चन्दा देवी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 135/2018
पेश करने की दिनांक – 11.09.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 6950 रकबा 0.27 व 6934 रकबा 0.05 पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। खसरा नम्बर 6950 रकबा 0.27 पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर व खसरा नम्बर 6934 रकबा 0.05 पर मिलापचन्द पुत्र कुन्दनमल 1/4 हिस्सा के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 12 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद